राज्य–स्थानीय संबंधों को देखें, तो हमें आपसी समझ और सकारात्मक साझेदारी की भावना मिलती है, न कि उच्च स्तरों द्वारा श्रेष्ठता और प्रभुत्व की। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में, ''राज्य–स्थानीय संबंधों की अवधारणा मुख्य रूप से राज्य सेवा, राज्य परामर्श और राज्य सहयोग है''। हम भारत में भी अपने संस्थानों के लिए ऐसी ही स्थिति चाहते हैं।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्थानीय शासन पर अपनी रिपोर्ट में राज्य–स्थानीय संबंधों सहित स्थानीय सरकारों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, आयोग ने अपना ध्यान स्थानीय निकायों के क्षमता – निर्माण पर केंद्रित किया, जिसके लिए उसने अधिकारियों और गैर – अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की सिफारिश की।

इस परिणाम के लिए आयोग ने राज्य वित्त आयोगों के साथ–साथ राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका (सलाहकार) की तलाश की। "राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को विशिष्ट कार्यों को सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और स्थानीय निकायों में वित्तीय अनुशासन और ईमानदारी में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित खरीद प्रक्रियाओं को रखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों द्वारा ''व्यापक समग्र प्रशिक्षण ... प्रशिक्षण संस्थानों की नेटवर्किंग'' सुनिश्चित की जानी चाहिए। योजना के संबंध में, प्रशासनिक सुधार आयोग स्थानीय स्तर पर योजना प्रक्रिया आरम्भ करने की सिफारिश करता है और ''प्रत्येक राज्य सरकार को सहभागी स्थानीय स्तर की योजना के लिए कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए... राज्य योजना बोर्डों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला योजनाएं राज्य की योजनाओं के साथ एकीकृत हैं।

वित्तीय नियंत्रण और लेखा – परीक्षा के संबंध में, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक लेखा – परीक्षा समिति के गठन के लिए सिफारिश की है कि ''वित्तीय जानकारी की अखंडता, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, लागू कानूनों के अनुपालन और स्थानीय निकायों में शामिल सभी व्यक्तियों के नैतिक आचरण के संबंध में निरीक्षण करें"। साथ ही, यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

स्थानीय सरकारों के पास लेखांकन और लेखा – परीक्षा के मानकों संबंधी पर्याप्त क्षमता है। आयोग ने मामलों की जांच करने और उचित कार्रवाई के लिए, सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण के साथ एक स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की भी सिफारिश की। लोकपाल अपनी रिपोर्ट राज्य के लोकायुक्त को भेजकर, राज्यपाल को आगे भेजेगा।

ग्राम पंचायत के आकार के संबंध में, प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है कि राज्य को लोगों की सुनिश्चित भागीदारी के साथ स्वशासन की एक व्यवहार्य इकाई के रूप में एक उपयुक्त आकार सुनिश्चित करना चाहिए। वित्तीय प्रशासन और बजट के संबंध में, आयोग का मत था कि उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत बजट के अनुमोदन की प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, राज्य को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किसी प्रस्ताव को स्थगित करने की शक्ति का त्याग देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को लोकपाल के पास भेजा जा सकता है। इसी तरह आयोग ने सिफारिश की कि ''उच्च स्तर के निर्णयों से सामुदायिक स्तर के निकायों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाए तो उनके सृजन के लिए पहल नीचे से आनी चाहिए, और उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसी तरह, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य–स्थानीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं, ताकि वे अपने–अपने क्षेत्रों में लगभग समान स्तर पर सकारात्मक साझेदारी में काम कर सकें।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जांच कीजिए।

1) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य–स्थानीय सरकार के इंटरफेस को उजागर कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) राज्य सरकार के साथ स्थानीय सरकार के वित्तीय संबंधों के दो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3) बेहतर राज्य–स्थानीय सरकार संबंधों के लिए द्वितीय प्रशासनिक आयोग (ए आर सी) की कोई दो सिफारिशें लिखिए।

.....

.....

.....

.....

11.6 निष्कर्ष

इस इकाई में हमने राज्य और स्थानीय सरकार के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न किया है। हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच इंटरफेस के कई अवसर प्राप्त होते हैं। आदर्श रूप से, सरकार के दो स्तरों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए और उनके बीच लगभग शक्तियों का संतुलन होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसी स्थिति शायद ही कभी आई हो। लोगों की सेवा करने और विकास के लिए काम करने के लिए भागीदारों के रूप में काम करने की अपेक्षा, प्रत्येक अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खोज करता है। राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारों का मार्गदर्शन और समर्थन करने की अपेक्षा, आम तौर पर उन पर हावी होती है और नियंत्रित करती हैं। स्थानीय सरकार की प्रणाली, परिभाषित

शक्तियों के साथ, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आवश्यक क्षेत्रों में कुछ हद तक स्वायत्त अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। दूसरी ओर राज्य सरकारों को, स्थानीय लोगों की सेवा करने के लिए अपने कर्तव्यों के र्निवहन के लिए निचले निकायों को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए। 1990 के दशक में संवैधानिक संशोधनों के साथ स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने और राज्य के स्थानीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा परिवर्तन आया, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके संबंधों के संबंध में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं देखा गया है। कुछ समितियों और आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सकारात्मक और रचनात्मक संपर्क होना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस दिशा में कई उपाय सुझाए हैं, जो सुदृढ़ स्थानीय शासन की एक मजबूत प्रणाली लाने के लिए के लिए आवश्यक है और राज्यों द्वारा इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

11.7 शब्दावली

विघटनः यह किसी सभा, साझेदारी या पंचायत को औपचारिक रूप से समाप्त करने या खारिज करने के कार्य को संदर्भित करता है।

11.8 संदर्भ

Khera, S.S. (2005). District Administration in India. New Delhi, India: National Publishing House.

Palanithurai, G.(ed). (2002).Dynamics of New Panchayati Raj System in India. New Delhi, India: Concept Publishing House.

Second Administrative Reforms Commission. (2007). Report on Local Governance. Retrieved from https://darpg.gov.in/sites/default/files/local_governance6.pdf

Singh, S.& Singh, S. (2005). Local Government in India. Jalandhar, India: New Academic.

www.times of India(SanjeevSabhlok, May30, 2019)

Report of the First State Finance Commission, Punjab,

11.9 बोध प्रश्नो के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थितियाँ।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- अनुभाग 11.4 (11.4.1) का अध्ययन कीजिए।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- अधिक्रमण और विघटन, सदस्यों का निलंबन या निष्कासन, राज्य सरकारों द्वारा नियम और विनियम बनाना और स्थानीय सरकार द्वारा पारित उप कानूनों की समीक्षा, नियमित संचार और आवधिक रिपोर्ट।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- अधिक्रमण और विघटन, सदस्यों का निलंबन या हटाना, राज्य सरकारों द्वारा नियम और विनियम बनाना, और स्थानीय सरकार द्वारा पारित उप–नियमों की समीक्षा, नियमित संचार और आवधिक रिपोर्ट।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः

- कराधान, उधार, सहायता अनुदान, बजट, आदि।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- स्थानीय निकायों के लिए क्षमता – निर्माण प्रयास, स्थानीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना, जिला स्तरीय लेखा – परीक्षा समिति का निर्माण, स्थानीय नियोजन को प्रोत्साहित करने, उच्च अधिकारियों द्वारा स्थानीय निकायों के प्रस्तावों के अनुमोदन को बंद करने सहित स्थानीय निकायों के प्रति राज्य सरकारों की सकारात्मक भूमिका।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY